उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1,

संख्या-105/2015/4032/92-1-2015/89आरईएस/93,

लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर, 2015

कार्यालय-आदेश

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के श्री श्यामेन्द्र प्रताप सिंह एवं 01 अन्य अवर अभियन्ताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-1489(एस0एस0)/2014 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07-3-2014 द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :-

Accordingly, the petitioners are permitted to make a fresh representation to opposite party no.1/ Principal Secretary, Department of Finance , Government of U.P., Secretariat, Lucknow within a period of two weeks from the date of receiving the certified copy of this order annexing all the relevant documents and materials in support of their case and after receiving the same opposite party no.1 shall consider and dispose of by way of speaking and reasoned order in accordance with law within a further period of four weeks thereafter.

It is clarified that this Court has not adjudicated the claim of the petitioner on merit.

With the above observation, the writ petition is finally disposed of.

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 07-3-2014 के क्रम में कुल 02 याचीगण द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त विभाग द्वारा अपने कार्यालय आदेश संख्या-जी-2-04रिट/दस-2015, दिनांक 20-7-2015 द्वारा याचीगण के प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया। वित्त विभाग के उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 20-7-2015 के प्रस्तर-5 में प्रशासकीय विभाग को निम्न निर्देश दिये गये हैं :-

''ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग इस पुष्टि के उपरान्त कि याचीगणों का जो संशोधित अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र निर्गत हुआ है, उसमें उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान, जो दिनांक 01-1-1986 से अनुमन्य किया गया बताया गया है, वह सक्षम स्तर के आदेश/अनुमोदन से अनुमन्य हुआ है तथा उसमें नियमानुसार देय वेतनमान में प्राप्त हो रहा वेतन स्तर सक्षम स्तर के अनुमोदन से दिया गया है। याचीगणों के वेतन संरक्षण पर अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि याचीगणों का अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र जिन आधारों पर संशोधित हुआ, वह सक्षम आदेशों के अन्तर्गत होना चाहिए।''

3- वित्त विभाग के उक्त निर्देशों के क्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 एवं सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन से याचीगण के अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र मांगे गये, जिसके क्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 19-3-2015 तथा सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-749/49-3-2014-74-2014, दिनांक 13-6-2014 द्वारा अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराये गये।

4- यह उल्लेखनीय है कि रिट याचिका-1489/2014(एस/एस) में कुल 02 याचीगण हैं, जिन्हें परिसमापित विश्व बैंक परियोजना में नियमानुसार प्राप्त अन्तिम वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ अनुमन्य कराया जाना है। विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ के अवर अभियन्ता पद के पदधारक (याचीगण) को निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-जी-1903/ग्रा0अ0से0/स्था0/वि0बैं0परि0/98-99, दिनांक 11-11-1998 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में नियुक्ति की तिथि दिनांक 18-12-1993 से अवर अभियंता (सिविल) के पद पर समायोजित करते हुये अस्थायी नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उक्त आदेश में यह भी इंगित किया गया है कि इन अवर अभियंताओं को उक्त परियोजना में प्राप्त कर रहे अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतन के संरक्षण का लाभ वित्त विभाग/शासन की सहमति से प्रदान किया जायेगा। तत्क्रम में याचीगण के सम्बन्ध में उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण किया गया और सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित 02 अवर अभियन्ताओं को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को तत्समय लागू रूपये-1400-40-1800-द0रो0-50-2300 के वेतनमान में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-27 के अन्तर्गत वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम	परियोजना में धारित पद का वेतनमान	परियोजना में प्राप्त अन्तिम मूल वेतन	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	परियोजना में अन्तिम आहरित वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतन संरक्षण
1	2	3	4	5	6
1	श्री श्यामेन्द्र प्रताप सिंह	1400-2300	1600-00	11-1-1994	1600-00
2	श्री जयकरन सिंह	1400-2300	1640-00	13-1-1994	1640-00

5- उक्त आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के कार्यालय आदेश संख्या-जी-2-04रिट/दस-2015, दिनांक 20-7-2015 के प्रस्तर-5 में प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-105/2015/4032(1)/92-1-2015-तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।

8- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

9- वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

10- सम्बन्धित याची अवर अभियन्तागण, द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।